



**भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग, भोपाल**

भोपाल, चार इमली, मध्य प्रदेश - 462016 में, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के माध्यम से 'जमा कार्य' आधार पर परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में प्रदान की गई, आरबीआई के कर्मचारियों / अधिकारियों के लिए अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण के लिए, जिसमें जर्जर डी प्रकार के ब्लॉकों का विध्वंस भी शामिल है, स्वतंत्र तृतीय पक्ष गुणवत्ता लेखापरीक्षा (एटीपीक्यूए) सेवाएं - 2026\_RBI\_286742\_1 - दिनांक 13 अगस्त 2026 की बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त

उपरोक्त निविदा 2026\_RBI\_286742\_1 की बोली पूर्व बैठक दिनांक 13 अगस्त 2026 को दोपहर 11:30 बजे ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की गई।

2) 13 अगस्त 2026 को आयोजित प्री-बिड मीटिंग के प्रतिभागी निम्नानुसार हैं:

(a) बैठक में भाग लेने वाले बैंक के अधिकारियों की सूची:

| भारतीय रिज़र्व बैंक |                                |                                 |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| क्र. सं.            | नाम                            | पदनाम                           |
| i)                  | श्री विक्रम बहादुर सिंह राजपूत | उप महाप्रबंधक                   |
| ii)                 | श्री साबू एंटनी                | सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी सिविल) |
| iii)                | श्री शमसे आलम                  | प्रबंधक                         |
| iv)                 | श्रीमती सोनाली मोरे            | सहायक प्रबंधक                   |
| v)                  | श्री भूपेंद्र भोई              | सहायक प्रबंधक                   |

(b) भाग लेने वाली फर्मों के प्रतिनिधियों की सूची:

| क्र. सं. | कंपनी का नाम                  | प्रतिनिधियों का नाम |
|----------|-------------------------------|---------------------|
| i)       | मेसर्स आई एस एस पी एल लिमिटेड | श्री दीपक सिंह बघेल |
|          |                               | श्री प्रभात मालवीय  |

3) बैठक के दौरान बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्न एवं हमारे उत्तर निम्नानुसार हैं:

| क्रम सं. | खंड संदर्भ                 | इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्न / स्पष्टीकरण।                                                                                                                                       | बैंक द्वारा स्पष्टीकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | धारा 2.4 - संक्षिप्त विवरण | कृपया परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी भवनों और बुनियादी ढांचे के कार्यों का कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) प्रदान करें ताकि लेखा परीक्षा प्रयास और संसाधन तैनाती का आकलन किया जा सके। | परियोजना के अंतर्गत शामिल सभी इमारतों का कुल प्लिंथ क्षेत्रफल (पीए): 30,718.98 वर्ग मीटर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2        | धारा 4.1 परियोजना विवरण    | कृपया परियोजना के अंतर्गत निर्मित कुलकंस्ट्रक्टेड एरिया, पोडियम एरिया, बेसमेंट / स्टिल्ट एरिया, लैंडस्केप एरिया और एक्सटर्नल डेवलपमेंट एरिया कन्फर्म करें।                                  | i) ग्रेड A टाइप ब्लॉक (स्टिल्ट + 9 फ्लोर): 17,046.87 Sqm.<br>ii) ग्रेड D / E / F टाइप ब्लॉक (स्टिल्ट + 7 फ्लोर): 4,454.14 Sqm.<br>iii) RD का बंगला (ग्राउंड + 1 फ्लोर): 445.62 Sqm.<br>iv) क्लास III टाइप ब्लॉक (स्टिल्ट + 7 फ्लोर): 5,465.87 Sqm.<br>v) फैसिलिटी ब्लॉक (ग्राउंड + 4 फ्लोर) + 2 सिक्योरिटी ब्लॉक: 3,096.74 Sqm.<br>vi) इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन बिल्डिंग (सिंगल फ्लोर): 124.07 Sqm.<br>vii) स्विमिंग पूल के लिए चेंजिंग रूम (सिंगल फ्लोर): 86.54 Sqm.<br><br>+<br>ग्रेड D / E / F टाइप ब्लॉक की छत पर टेम्पररी शेड<br>+<br>स्विमिंग पूल<br>+<br>डेवलपमेंट और बल्क सर्विसेज़<br>+<br>बागवानी और गार्डनिंग का काम |
| 3        | धारा 2.4 एवं धारा 4.1      | कृपया ऑडिट मैन-डे के अनुमान के लिए GFC ड्राइंग, प्रमुख योजनाएँ, इमारत-वार क्षेत्र विवरण और परियोजना चरणबद्ध विवरण की प्रति प्रदान करें।                                                     | टेंडर दस्तावेज़, संबंधित GFC ड्राइंग्स के साथ, CPWD की वेबसाइट Central Public Works Department – e-Tenders ( <a href="https://etender.cpwd.gov.in">https://etender.cpwd.gov.in</a> ) पर नीचे दिए गए मार्ग का उपयोग करके एक्सेस किए जा सकते हैं:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



**भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग, भोपाल**

|   |                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                        |                                                                                                                                                                                              | <a href="https://etender.cpwd.gov.in">https://etender.cpwd.gov.in</a> >> All Tenders >><br>Search by Tender ID 143396 >> View Tender<br>Details  >> View Tender Documents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | धारा 4.7(c)(ii)<br>एवं धारा<br>4.12(d) | कृपया स्पष्ट करें कि 24 निरीक्षण/ऑडिट की न्यूनतम आवश्यकता सभी विषयों (सिविल, स्ट्रक्चरल, MEP, फायर फाइटिंग, HVAC, लिफ्ट आदि) को शामिल करती है या अलग से स्पेशलिस्ट विज़िट की भी ज़रूरत होगी। | <p>24 महीने के प्रोजेक्ट एग्ज़िक्यूशन पीरियड में मेसर्स बी एल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत सभी काम शामिल हैं, जिसकी ऑल-इनक्लूसिव 'कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू' ₹102,98,12,931/- (102.98 करोड़) है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग (MEP), फायर फाइटिंग, लिफ्ट, STP/WTP और दूसरी MEP सर्विसेज़ शामिल हैं।</p> <p>प्रोजेक्ट/काम के दौरान लगातार इंस्पेक्शन/ऑडिट के बीच का गैप 01 (एक) महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि, ITPQA, ज़रूरी कामों के दौरान, अगर उन्हें ज़रूरी लगे/बैंक (क्लाइंट) कहे, तो कम गैप पर कंस्ट्रक्शन साइट पर जा सकता है/इंस्पेक्शन कर सकता है, ताकि प्रोजेक्ट के काम की क्वालिटी पक्की हो सके।</p> <p>स्वतंत्र तृतीय पक्ष गुणवत्ता लेखापरीक्षक (ITPQA) बैंक (क्लाइंट) द्वारा इस टेंडर के तहत ITPQA सर्विस दिए जाने के 10वें दिन से लेकर प्रोजेक्ट/काम पूरा होने और बैंक (क्लाइंट) को तय इस्तेमाल के लिए सौंपे जाने की तारीख तक अपनी सर्विस देंगे।</p> <p>हालांकि, अगर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्रोजेक्ट का काम बैंक (क्लाइंट) द्वारा इस टेंडर के तहत ITPQA सर्विस दिए जाने के 10वें दिन से 24 महीने के तय समय से आगे बढ़ जाता है, तो ITPQA टेंडर डॉक्यूमेंट/कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए ITPQA सर्विस के दायरे और नियम और शर्तों के अनुसार, प्रोजेक्ट/काम पूरा होने और बैंक (क्लाइंट) को तय इस्तेमाल के लिए सौंपे जाने की तारीख तक, जब बैंक (क्लाइंट) द्वारा लिखित में इसकी पुष्टि की जाती है, 24 महीने की असली अवधि खत्म होने से पहले, ITPQA सर्विस देना जारी रखेगा। बैंक (क्लाइंट) इस</p> |
| 5 | धारा 4.8                               | कृपया पुष्टि करें कि यदि आरबीआई द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किया जाए, तो न्यूनतम निर्धारित 24 लेखा परीक्षाओं से अधिक निरीक्षणों के लिए अलग से पारिश्रमिक दिया जाएगा या नहीं।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>बढ़े हुए समय के दौरान दी गई सर्विस के लिए ITPQA को, शुरू में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की कीमत के प्रो-राटा बेसिस पर पेमेंट करेगा।</p> <p><b><u>इसलिए, पेज नंबर 60 पर क्लॉज़ नंबर 5.12 e) ii) बदला गया है।</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6  | धारा 4.14(a)(i)                  | कृपया अनुबंध के तहत आईटीपीक्यूए द्वारा स्वतंत्र सत्यापन के लिए आवश्यक परीक्षणों की अनुमानित संख्या स्पष्ट करें।                                                                                                                                             | <p>क्योंकि यह प्रोजेक्ट EPC III मोड के तहत है, इसलिए एक्सटर्नल डेवलपमेंट और बल्क वर्क्स को छोड़कर, हर आइटम की मात्रा टेंडर डॉक्यूमेंट में अलग से नहीं बताई गई है। बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन प्लिंथ एरिया रेट के आधार पर होगा। विवरण ऊपर SI. No. 3 के अंतर्गत दी गई CPWD की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।</p> <p>इसलिए, इस स्टेज पर किए जाने वाले टेस्ट की संख्या का सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, टेंडर डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 45 और 46 पर क्लॉज़ नंबर 4.14 a) i) के तहत बताए गए ज़रूरी टेस्ट, ITPQA द्वारा NABL से मान्यता प्राप्त लैब से, सिर्फ बैंक (क्लाइंट) की लिखित सहमति से किए जाएंगे।</p> |
| 7  | धारा 4.14(a)(i)                  | टेंडर में यह तय है कि ITPQA कम से कम 10% ज़रूरी टेस्ट NABL से मान्यता प्राप्त लैब के ज़रिए करवाएगा और ऐसे टेस्ट का पेमेंट ITPQA करेगा। कृपया कन्फर्म करें कि यह समझ सही है या नहीं।                                                                         | <p>ऐसे मामलों में, ITPQA ऐसे टेस्ट की लागत का कोटेशन जमा करने के बाद, बैंक (क्लाइंट) से लिखित मंजूरी लेगा। ऐसे टेस्ट पर हुआ असल खर्च ITPQA द्वारा GST इनवॉइस जमा करने पर बैंक (क्लाइंट) द्वारा रीइंबर्स किया जाएगा। पैकिंग और फॉरवर्डिंग का खर्च कॉन्ट्रैक्टर (एग्जीक्यूटिंग एजेंसी) उठाएगी।</p> <p><b><u>टेंडर डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 45 और 46 पर क्लॉज़ नंबर 4.14 a) i) के तहत दिए गए प्रोविज़न को उसी हिसाब से बदला गया है।</u></b></p>                                                                                                                                                                    |
| 8  | धारा 4.16(d)                     | यह बताया गया है कि पैकिंग, फॉरवर्डिंग और टेस्टिंग का चार्ज कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा। कृपया क्लॉज़ 4.14(a)(i) के संदर्भ में इस विरोधाभास को स्पष्ट करें। कृपया पुष्टि करें कि NABL से मान्यता प्राप्त लैबोरेटरी टेस्टिंग की लागत किसके द्वारा वहन की जाएगी। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | धारा 4.14(a)(i) एवं धारा 4.16(b) | क्या ITPQA की भूमिका ठेकेदार/CPWD द्वारा आयोजित परीक्षणों के साक्ष्य और सत्यापन तक सीमित है, या क्या सभी प्रकार की सामग्रियों के लिए NABL प्रयोगशालाओं के माध्यम से स्वतंत्र परीक्षण अनिवार्य है।                                                           | <p>ITPQA ठेकेदार द्वारा आयोजित परीक्षणों का साक्ष्य देगा और ऐसे सभी परीक्षणों के परिणामों की पुष्टि करेगा। हालांकि, ऊपर SI. No. 8 के तहत निर्दिष्ट अनिवार्य स्वतंत्र परीक्षणों की व्यवस्था ITPQA द्वारा की जाएगी।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | परिशिष्ट-V                       | लैबोरेटरी टेस्टिंग की ज़रूरतों और उससे जुड़े                                                                                                                                                                                                                | <p>क्योंकि यह प्रोजेक्ट EPC III मोड के तहत है, इसलिए एक्सटर्नल डेवलपमेंट और बल्क वर्क्स को छोड़कर,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग, भोपाल**

|    |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | खर्चों का अंदाज़ा लगाने के लिए, कृपया प्रोजेक्ट के तहत लगने वाले सामान की लगभग मात्रा बताएं।                                                                                              | हर आइटम की मात्रा टेंडर डॉक्यूमेंट में अलग से नहीं बताई गई है। बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन प्लिंथ एरिया रेट के आधार पर होगा। डिटेल्स CPWD की वेबसाइट पर ऊपर दिए गए SI. No. 3 के तहत देखी जा सकती हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | धारा 4.2          | कृपया कन्फर्म करें कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी असेसमेंट, NDT इवैल्यूएशन और ज़रूरी स्ट्रक्चरल मेंबर्स का फोरेंसिक रिव्यू स्कोप में शामिल है या नहीं।                                          | स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी असेसमेंट, NDT इवैल्यूएशन और ज़रूरी स्ट्रक्चरल मेंबर्स का फोरेंसिक रिव्यू सिर्फ़ तभी करना ज़रूरी है, जब कंस्ट्रक्शन / ITPQA के दौरान किसी मेंबर / स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में कोई शक हो। अगर ITPQA को ज़रूरी लगे, तो यह बैंक (क्लाइंट) की लिखित सहमति से अलग से किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, ITPQA ऐसे टेस्ट के खर्च के लिए कोटेशन जमा करने के बाद, बैंक (क्लाइंट) से लिखित मंजूरी लेगा। ऐसे टेस्ट पर हुआ असल खर्च ITPQA द्वारा GST इनवॉइस जमा करने पर बैंक (क्लाइंट) द्वारा रीइंबर्स किया जाएगा। |
| 12 | धारा 4.1 एवं 4.14 | कृपया कन्फर्म करें कि क्या फायर फाइटिंग, HVAC, BMS, सोलर PV सिस्टम, लिफ्ट सिस्टम, CCTV, नेटवर्किंग और इनसे जुड़ी MEP सर्विसेज़ के लिए स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन के हिसाब से ऑडिट की ज़रूरत है। | हाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | धारा 4.14(b)(vii) | कृपया स्पष्ट करें कि RA बिल के पोस्ट-पेमेंट ऑडिट और फ़ाइनल बिल के प्री-पेमेंट ऑडिट में क्वांटिटी वेरिफ़िकेशन और फ़ाइनैशियल स्कूटनी शामिल है या सिर्फ़ क्वालिटी कम्प्लायंस रिव्यू।         | ITPQA, RA बिलों का पोस्ट-पेमेंट ऑडिट और फ़ाइनल बिलों का प्री-पेमेंट ऑडिट करेगा, जिसमें क्वांटिटी वेरिफ़िकेशन और फ़ाइनैशियल स्कूटनी शामिल होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | धारा 4.14(b)(viii)  | कृपया बताएं कि क्या टीम की बनावट, एक्सपर्ट्स की संख्या, या डिसिप्लिन के हिसाब से तैनाती के लिए RBI की कोई मिनिमम ज़रूरत है।                                    | ऑडिट/इंस्पेक्शन एक मल्टी-डिसिप्लिन एक्सपर्ट/एक्सपर्ट्स की टीम कर सकती है, जिसका असेसमेंट ITPQA अपनी मर्जी से, ऑडिट/इंस्पेक्शन की जाने वाली एक्टिविटीज़/डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, जिस डिसिप्लिन का ऑडिट/इंस्पेक्शन किया जा रहा है और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस/स्टेज को ध्यान में रखते हुए, तय समय पर कर सकता है, जो 01 (एक) महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। |
| 15 | धारा 5.20(b)        | कृपया बताएं कि रूटीन और क्रिटिकल स्टेज इंस्पेक्शन के दौरान सिविल, स्ट्रक्चरल, MEP और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की कम से कम कितनी तैनाती होनी चाहिए।               | ITPQA अपने विवेक से, ऑडिट/निरीक्षण की जाने वाली गतिविधियों/दस्तावेजों के आधार पर, जिस विषय का ऑडिट/निरीक्षण किया जा रहा है और प्रोजेक्ट की प्रगति/चरण को ध्यान में रखते हुए, नियमित ऑडिट/निरीक्षण और महत्वपूर्ण गतिविधियों के निष्पादन के दौरान ऑडिट/निरीक्षण के लिए आवश्यक अंतराल पर विशेषज्ञों की तैनाती का आकलन कर सकता है।                            |
| 16 | धारा 4.13           | हम समझते हैं कि सभी यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग, लोकल ट्रांसपोर्ट और रहने का खर्च ITPQA उठाएगा। कृपया कन्फर्म करें।                                               | हाँ, सभी यात्रा, बोर्डिंग, ठहरने, स्थानीय परिवहन, आवास और भोजन व्यय ITPQA द्वारा स्वयं वहन किए जाएंगे।                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | धारा 4.9 एवं 4.10   | क्या ITPQA से उम्मीद की जाती है कि वह इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड और डेटाबेस बनाए रखे या सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्टर और CPWD द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड का ऑडिट करे। | हाँ, ITPQA से उम्मीद की जाती है कि वह ज़रूरी इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड और डेटाबेस बनाए रखेगा और उसकी कॉपी बैंक (क्लाइंट) के साथ शेयर करेगा। उन्हें कॉन्ट्रैक्टर और CPWD द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड का ऑडिट भी करना होगा।                                                                                                                              |
| 18 | धारा 4.7(d) एवं (e) | कृपया कन्फर्म करें कि क्या RBI को अपेंडिक्स-III और अपेंडिक्स-IV में दिए गए फॉर्मेट के अलावा किसी और खास रिपोर्टिंग फॉर्मेट की उम्मीद है।                       | टेंडर दस्तावेज़ में अनुलग्नक-III और अनुलग्नक-IV में शामिल रिपोर्टिंग प्रारूप केवल सूचनात्मक हैं। ITPQA इन प्रारूपों में कुछ भी अतिरिक्त जोड़ सकता है, जैसा कि वे भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और अन्य लागू कोडों के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक समझें, ताकि परियोजना के कार्यान्वयन की सर्वोत्तम संभव गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।        |
| 19 | धारा 4.16(i)        | कृपया बताएं कि प्रोजेक्ट लाइफसाइकल के दौरान ITPQA को JAC मीटिंग्स और दूसरी रिव्यू मीटिंग्स में कितनी बार शामिल होना है।                                        | JAC मीटिंग आम तौर पर महीने में एक बार बुलाई जाती हैं, जब तक कि आवश्यकता न हो कि किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए छोटे अंतराल पर बुलाया जाए ताकि परियोजना की सुचारू प्रगति सुनिश्चित की जा सके।                                                                                                                                                       |



**भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग, भोपाल**

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | धारा 5.12(d)      | परियोजना की अवधि 24 महीने बताई गई है। कृपया कार्यान्वयन के लिए योजनाबद्ध समापन अनुसूची और माइलस्टोन की तारीखों की पुष्टि करें।                                                                                                                                       | माइलस्टोन्स को टेंडर डॉक्यूमेंट से देखा जा सकता है, जिसे ऊपर दिए गए SI. No. 3 के तहत CPWD की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सबमिट किया गया वर्क <u>प्रोग्राम चार्ट</u> भी रेफरेंस के लिए साथ में अटैच किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21 | धारा 5.12(e)      | यह बताया गया है कि तय समय से ज़्यादा प्रोजेक्ट का समय बढ़ाने पर ITPQA को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा। हम अनुरोध करते हैं कि पुनर्विचार किया जाए और स्पष्टीकरण दिया जाए कि यदि परियोजना का विस्तार ITPQA के कारण न हो, तो समानुपातिक शुल्क देय होंगे या नहीं। | <p>स्वतंत्र तृतीय पक्ष गुणवत्ता लेखापरीक्षक (ITPQA) बैंक (क्लाइंट) द्वारा इस टेंडर के तहत ITPQA सर्विस दिए जाने के 10वें दिन से लेकर प्रोजेक्ट/काम के पूरा होने और बैंक (क्लाइंट) को तय इस्तेमाल के लिए सौंपे जाने की तारीख तक अपनी सर्विस देंगे।</p> <p>हालांकि, अगर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्रोजेक्ट का काम बैंक (क्लाइंट) द्वारा इस टेंडर के तहत ITPQA सर्विस दिए जाने के 10वें दिन से 24 महीने के तय समय से आगे बढ़ जाता है, तो ITPQA टेंडर डॉक्यूमेंट/कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए ITPQA सर्विस के दायरे और नियम और शर्तों के अनुसार, प्रोजेक्ट/काम पूरा होने और बैंक (क्लाइंट) को तय इस्तेमाल के लिए सौंपे जाने की तारीख तक, जब बैंक (क्लाइंट) द्वारा लिखित में इसकी पुष्टि की जाती है, 24 महीने की असली अवधि खत्म होने से पहले, ITPQA सर्विस देना जारी रखेगा। बैंक (क्लाइंट) इस बढ़े हुए समय के दौरान दी गई सर्विस के लिए ITPQA को, शुरू में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की कीमत के प्रो-राटा बेसिस पर पेमेंट करेगा।</p> <p><b><u>इसलिए, पेज नंबर 60 पर क्लॉज़ नंबर 5.12 e) ii) बदला गया है।</u></b></p> |
| 22 | धारा 5.23 एवं NIT | कृपया स्पष्ट करें कि अनुबंध के निष्पादन के दौरान क्या 5% सुरक्षा जमा कटौती और 5% प्रदर्शन बैंक गारंटी दोनों एक साथ लागू होती हैं।                                                                                                                                    | स्वतंत्र तृतीय पक्ष गुणवत्ता लेखापरीक्षा (ITPQA) की फ़ाइनल रिपोर्ट जमा करने और बैंक (क्लाइंट) द्वारा उसे स्वीकार करने के बाद, बैंक द्वारा स्वतंत्र तृतीय पक्ष गुणवत्ता लेखापरीक्षक (ITPQA) को परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) वापस कर दी जाएगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                       | स्वतंत्र तृतीय पक्ष गुणवत्ता लेखापरीक्षक (ITPQA) को किए गए पेमेंट से बैंक (क्लाइंट) द्वारा रोकी गई 5% सिक्योरिटी डिपॉज़िट (SD) प्रोजेक्ट/काम के लगभग पूरा होने के 12 महीने बाद बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 | धारा 5.21(C)      | कृपया कन्फर्म करें कि पेमेंट पूरी तरह से प्रोजेक्ट प्रोग्रेस माइलस्टोन से जुड़े होंगे या इंस्पेक्शन रिपोर्ट जमा करने और स्वीकार करने के आधार पर जारी किए जा सकते हैं। | कृपया टेंडर डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 67 से 69 पर क्लॉज़ नंबर 5.21 C देखें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24 | धारा 5.24         | कृपया ITPQA पर लागू प्रोफेशनल लायबिलिटी की सीमा बताएं और क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रोफेशनल इंडेमिटी इंश्योरेंस ज़रूरी है।                                          | ITPQA की प्रोफेशनल लायबिलिटी टेंडर डॉक्यूमेंट में अलग-अलग क्लॉज़ के तहत दिए गए प्रोविज़न तक ही सीमित है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडेमिटी इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं है। हालांकि, ITPQA, अगर चाहे, तो बैंक (क्लाइंट) या किसी दूसरे थर्ड पार्टी के किसी भी क्लेम से होने वाले किसी भी फाइनेंशियल नुकसान, लीगल डिफेंस कॉस्ट, सेटलमेंट, जिसमें प्रोफेशनल सर्विस में कथित लापरवाही, गलतियों, चूक या ड्यूटी के उल्लंघन के कारण कर्मचारी की चोट/मौत वगैरह शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, से खुद को बचा सकता है। ITPQA अपने उस कर्मचारी के लिए ज़रूरी इंश्योरेंस कवर लेना पक्का करेगा जो साइट पर आएगा। |
| 25 | धारा 5.19(b)      | कृपया कन्फर्म करें कि क्या सफल बिडर इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करने के लिए सब-कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर NABL से मान्यता प्राप्त लैब्स को हायर कर सकता है।                        | ITPQA इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करने के लिए सब-कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर NABL से मान्यता प्राप्त लैब्स को हायर कर सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26 | धारा 28.16        | कृपया कन्फर्म करें कि सबकॉन्ट्रैक्टिंग सिर्फ NABL लैबोरेटरी टेस्टिंग के लिए अलाउड है, ऑडिट एक्टिविटीज़ के लिए नहीं।                                                   | सबकॉन्ट्रैक्टिंग सिर्फ NABL लैबोरेटरी टेस्टिंग के लिए दी जा सकती है, ऑडिट एक्टिविटीज़ के लिए नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27 | धारा 4.14(a)(iii) | कृपया पुष्टि करें कि आरबीआई / सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्देशित होने पर, निर्धारित सूची से अतिरिक्त परीक्षणों का अलग से भुगतान किया जाएगा या नहीं।                       | कृपया ऊपर उल्लिखित क्र सं. 6, 7 और 8 के तहत स्पष्टीकरण का संदर्भ लें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



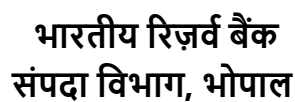
**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**संपदा विभाग, भोपाल**

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | परिशिष्ट-V                 | कृपया कन्फर्म करें कि क्या मटीरियल टेस्टिंग के लिए बताई गई फ्रीक्वेंसी ITPQA द्वारा इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के लिए ज़रूरी फ्रीक्वेंसी हैं या कॉन्ट्रैक्टर टेस्टिंग के लिए सिर्फ़ इंडिकेटिव क्वालिटी कंट्रोल फ्रीक्वेंसी हैं। | मटीरियल टेस्टिंग के लिए बताई गई फ्रीक्वेंसी सिर्फ़ इंडिकेटिव हैं। असली फ्रीक्वेंसी ज़रूरी नियमों और ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स के संबंधित कोड और दूसरे लागू स्टैंडर्ड कोड के नियमों के अनुसार होंगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29 | धारा 4.14(b)(iii)          | कृपया बताएं कि डिसमेंटलिंग/रीवर्क की ओर ले जाने वाले ऑब्ज़र्वेशन से निपटने का तरीका क्या है और क्या ITPQA को ज़रूरी सुधार के लिए कोई अधिकार दिया गया है।                                                                  | ITPQA अपनी ऑडिट/इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कॉन्ट्रैक्टर के किए गए निम्न गुणवत्ता वाले कार्यों /इंस्टॉलेशन के बारे में अपने अवलोकन स्पष्ट रूप से बताएगा, जिसके लिए उसे विघटन /फिर से काम करने की ज़रूरत है और उसे बैंक (क्लाइंट) को सौंपेगा। बैंक (क्लाइंट) बदले में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (CPWD) को सलाह देगा कि वह कॉन्ट्रैक्टर को विघटन /फिर से काम करने सहित ज़रूरी सुधार के उपाय करने का निर्देश दे। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पिछली रिपोर्ट में की गई ऐसी बातों के संबंध में कोई सुधार के उपाय नहीं किए हैं, तो उन्हें बाद की रिपोर्ट में रिपोर्ट किया जाएगा और 'ऐसी बात जिस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की ज़रूरत है' के तौर पर फ़्लैग किया जाएगा। |
| 30 | धारा 5.20(b)(iii)          | कृपया स्पष्ट करें कि क्या हर महीने एक इंजीनियर की तैनाती की कम से कम ज़रूरत है या परियोजना की जटिलता को देखते हुए हर महीने कई तरह के इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तौर पर होने चाहिए।                                 | ITPQA अपने विवेक से, ऑडिट/निरीक्षण की जाने वाली गतिविधियों/दस्तावेजों के आधार पर, जिस विषय का ऑडिट/निरीक्षण किया जा रहा है और प्रोजेक्ट की प्रगति/चरण को ध्यान में रखते हुए, नियमित ऑडिट/निरीक्षण और महत्वपूर्ण गतिविधियों के निष्पादन के दौरान ऑडिट/निरीक्षण के लिए आवश्यक अंतराल पर विशेषज्ञों की तैनाती का आकलन कर सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31 | खंड I - ज्ञापन और खंड 2.12 | RFP में पेज 10 पर ITPQA सर्विसेज़ की अनुमानित लागत GST के साथ बताई गई है, जबकि क्लॉज़ 2.12                                                                                                                                | बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे लागू गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) को छोड़कर अपनी दरें बताएं। जी.एस.टी. सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से जोड़ा जाएगा। इस प्रकार, सिस्टम में दिखाई देने वाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                        |                                                                                                         |                                                                                           |
|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | निविदाएं प्रस्तुत करना | में कहा गया है कि बिडर को GST के बिना रेट/अमाउंट बताना होगा। कृपया रेट/अमाउंट बताने का लागू आधार बताएं। | अंतिम कुल राशि, जिसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) शामिल है, अंतिम बोली राशि होगी। |
|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

4. टेंडर में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
भोपाल



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**संपदा विभाग, भोपाल**

## Programme Chart

[illegible]